# मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३ सन् २०१९

# मध्यप्रदेश नगरपालिका ( संशोधन ) विधेयक, २०१९

**मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.**

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है. **संक्षिप्त नाम.**

२. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा ३५ में, खण्ड (च) का लोप किया जाए. **धारा ३५ का संशोधन.**

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक ११५१/२०१७ विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य, जो कि भारत के उच्चतम न्यायालय में लंबित है, यह मुद्दा है कि विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय अधिनियमितियों में, जहां कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों से विभेदकारी व्यवहार के प्रावधान हैं, को समाप्त/संशोधित किया जाए, जबकि कुष्ठ रोग अब एक साध्य रोग है. इस संबंध में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा ३५ चिन्हित की गई है, जिसमें कुष्ठ रोगियों के संबंध में विभेदकारी उपबंध है. अतएव, यथोचित संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १४ फरवरी, २०१९.

**जयवर्द्धन सिंह**
भारसाधक सदस्य.

# उपाबंध

## मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) से उद्धरण.

*  *  *  *  *

१. धारा ३५- (कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन या पार्षद के रूप में निर्वाचन या नाम-निर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा) यदि वह—

(क) भारत का नागरिक नहीं है, या

(ख) सरकारी सेवक है और वेतन या मानदेय (जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत फीस या कमीशन नहीं है) के रूप में पारिश्रमिक पाता है, या

(ग) परिषद् के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में है, या

(घ) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त या न्याय निर्णीत किया जा चुका है, या

(घघ) अध्यक्ष की दशा में आयु पच्चीस वर्ष से कम हो तथा पार्षदों की दशा में आयु इक्कीस वर्ष से कम हो)

(ङ) अनुमोदित दिवालिया है, या

(च) इस प्रकार के कुष्ठ रोग से पीड़ित है जो संक्रामक है.

*  *  *  *  *

**ए. पी. सिंह**
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.